[2015] 8 एस. सी. आर. 486

एम/एस. कोस्टल पेपर लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय आयुक्त, विशाखापट्टनम

(सिविल अपील संख्या 4908/2005)

जुलाई 21,2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जेजे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985: अधिसूचना सं. 22/94-सी.ई. दिनांक 01.03.1994-अपशिष्ट बोरे/पटसन के कचरे के गूदे से निर्मित कागज के तहत छूट का अधिकार-राजस्व ने इस आधार पर छूट से इनकार कर दिया कि अपशिष्ट बोरे/पटसन के कचरे का गूदा चिथड़ों के गूदे के अलावा और कुछ नहीं है- अभिनिर्धारित किया: उक्त अधिसूचना के तहत छूट का हकदार निर्धारिती-पटसन के थैलों या पटसन के कचरे से पल्प को अधिसूचना दिनांक 01-03-1994 में दिखाई देने वाले 'चिथड़े' शब्द से कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कभी भी गैर-पारंपरिक सामग्री को उक्त अधिसूचना के लाभ से बाहर करने का इरादा नहीं हो सकता था, जब कि

ठीक यही उद्देश्य था जिसके लिए गैर-पारंपरिक सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त अधिसूचना जारी की गई थी।

कानूनों की व्याख्याः उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-छूट अधिसूचना-आयोजितः जिस उद्देश्य के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, उसके अनुसार जाना आवश्यक है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अधिसूचना में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति 'चिथड़े' का अर्थ परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिस संदर्भ में उक्त अधिसूचना में इसका उपयोग किया गया है और साथ ही उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह शब्द अधिसूचना में आया है। साथ ही, उस उद्देश्य के पीछे जाना भी आवश्यक है जिसके लिए अधिसूचना स्वयं जारी की जाती है जिससे इसे एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या मिलती है, जो व्याख्या का मुख्य नियम बन गया है। 1977 से, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन, गैर-पारंपरिक कच्चे माल से बने कागज के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दरों को निर्धारित किया। इस तरह की अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य स्पष्ट है, अर्थात्, कागज और कागज उत्पादों के निर्माताओं को बांस या गेहूं का उपयोग करने की पारंपरिक तकनीक के विपरीत गैर-पारंपरिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। कारण बहुत स्पष्ट है। कागज और कागज उत्पादों के निर्माण के लिए बांस या गेहूं के उपयोग के लिए पेड़ों को काटने की

आवश्यकता होती है जो बदले में वनों की कटाई का विनाशकारी प्रभाव डालता है। यह पर्यावरण के क्षरण की ओर ले जाता है और गंभीर परिणामों के साथ वनों की कटाई का प्रतिकूल प्रभाव अब सर्वविदित है। दूसरी ओर बोरे/जूट के कचरे, मेस्ता, चावल के पुआल, गेहूं के पुआल, खोई आदि के कचरे से गूदा लेकर उत्पादन के गैर-पारंपरिक तरीकों को अपनाने से न केवल उक्त कचरे का उपयोग उपयोगी और रचनात्मक तरीके से किया जाता है, बल्कि यह पर्यावरण को भी बचाता है। इन अधिसूचनाओं को जारी करने के लिए इस तरह के परोपकारी उद्देश्य पर वित्त मंत्रियों द्वारा समय-समय पर बजट भाषणों में जोर दिया गया है। [पैरा 12,13] [500-डी-एच; 501-ए-डी]

2. समय-समय पर इस संबंध में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं की अवधि और भाषा भी उस अनुभव को दर्शाती है जो समय के साथ प्राप्त हुआ था। जबकि शुरुआत में, अधिसूचना (ओं) ने उन सामग्रियों की 'सकारात्मक सूची' निर्धारित की थी जिनका उपयोग शुल्क की रियायती दर का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाना था, जो एक वैचारिक परिवर्तन से गुजरा और 'नकारात्मक सूची' में बदल गया, यानी केवल उन सामग्रियों का उल्लेख करना जिनके उपयोग से लाभ नहीं होगा, जिससे लाभ गैर-पारंपरिक सामग्रियों के अन्य सभी रूपों के लिए उपलब्ध होगा। इसका कारण यह था कि अनुभव से पता चला है कि गैर-पारंपरिक सामग्री को एक जलडमरूमध्य में डाल कर उनका उल्लेख करना और यह

प्रावधान करना उचित नहीं था कि कागज के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की गैर-पारंपरिक सामग्री रियायती दर के लिए योग्य होनी चाहिए, सिवाय उन लोगों के जिन्हें इस तरह का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, 'सकारात्मक सूची' से 'नकारात्मक सूची' पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जूट, जूट के कचरे से बने गूदे और पुराने बोरों के कचरे को विशेष रूप से 17 की अधिसूचना में निहित 'सकारात्मक सूची' में शामिल किया गया है। इस प्रकार, उक्त अधिसूचना के अनुसार यदि कागज का निर्माण उपरोक्त सामग्री के अपशिष्ट से बने गूदे से किया जाता है, तो रियायती दर का लाभ स्वीकार्य था। अन्यथा, यह हमेशा स्पष्ट रूप से समझा गया है कि पुराने बोरे के कचरे सहित जूट या जूट का कचरा गैर-पारंपरिक सामग्री है। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो इरादा इस गैर-पारंपरिक सामग्री को 'नकारात्मक सूची' में 'लत्ता' शब्द के सम्मिलन के साथ बाहर करने का नहीं हो सकता है। [पैरा 14,15] [501-ई-एच; 502-ए-सी]

3. अधिसूचना 22/94-सी. ई. में 'बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी (सरकार के अलावा) या चिथड़े' का उल्लेख है। यह उल्लेख करने का क्या उद्देश्य है कि उपरोक्त सामग्री से बने गूदे से कोई लाभ नहीं होगा। जाहिर है, अन्य सभी सामग्री, अर्थात्, बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी और नक्काशी पारंपरिक कच्चा माल हैं। ये वे सामग्री हैं जिनका पेड़ों की कटाई और बदले में पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए 'चिथड़े' को

सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह उसमें उल्लिखित पूर्व प्रकार की सामग्रियों की प्रजाति होनी चाहिए। अन्यथा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। मान लीजिए, जूट के कचरे या उस मामले में बारूद के कचरे का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेष रूप से, ईख का उल्लेख करते समय, सरकार को विशेष रूप से इससे बाहर रखा गया है। 1984 से पहले, अपरंपरागत कच्चे माल से बने कागज को छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब कागज का निर्माण निर्दिष्ट गैर-पारंपरिक कच्चे माल से किया जाता था। उदाहरण के लिए, अधिसूचना संख्या 46/83-सी.ई. दिनांक 01-03-1983 ने कागज के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की है जिसमें खोई, जूट के डंठल, अनाज के पुआल, हाथी घास (इमपेराटा सिलिंड्रिका), मेस्टा (नीफ) या अपशिष्ट कागज से बने गूदे के वजन द्वारा पचास प्रतिशत से कम नहीं है। इस प्रकार, अधिसूचना में ही जूट के डंठल को एक गैर-पारंपरिक कच्चे माल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। हालांकि, 1984 के बजट में गैर-पारंपरिक कच्चे माल से बने कागज को छूट देने का दायरा बढ़ाया गया था। इस प्रकार, वर्ष 1984 से ही, अधिसूचना के दायरे का विस्तार किया गया था क्योंकि निर्दिष्ट सामग्रियों के अलावा अन्य किसी भी सामग्री को गैर-पारंपरिक कच्चा माल माना जाएगा और उससे बना कागज छूट के लिए पात्र होगा। इस प्रकार, उपरोक्त सभी सामग्रियों और अधिसूचनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार ने स्वयं जूट के थैलों/बारूद के थैलों और कपड़ों के बीच अंतर

किया और छूट पुराने जूट/बारूद के थैलों से बने कागज तक बढ़ाई जा रही थी। [पैरा 16,17,19] [502-डी-एच; 503-ए, बी, डी-ई; 504-सी-डी]

एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली, 1996 (7) पूरक एस. सी. आर. 535: (1996) 11 एस. सी. सी. 332; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर और अन्य बनाम हिमालयन सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ लिमिटेड और अन्य 2000 (4) पूरक एस. सी. आर. 431: (2000) 8 एस. सी. सी. 642; रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 1990 (47) ई. एल. टी. 491 (एस. सी.)-पर भरोसा किया।

रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बड़ौदा 1990 (2) एस. सी. आर. 797: (1990) 3 एस. सी. सी. 447-निर्दिष्ट।

4. इस विषय पर लगभग सभी पुस्तकें समान रूप से 'राग' या 'राग पल्प' को सूती अपशिष्ट या सूती कपड़ा सामग्री से बने के रूप में परिभाषित करती हैं। [पैरा 27] (511-बी]

अमेरिकन पेपर एंड पल्प एसोसिएशन द्वारा पेपर का शब्दकोश; जेम्स पी. केसी द्वारा 'पल्प एंड पेपर केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी'; टीएपीपीआई द्वारा पेपर का शब्दकोश; पेपर ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उपयोग किए

जाने वाले शब्दों की भारतीय मानक शब्दावली-आईएस 4661:1999-का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण विधि संदर्भ

1990 (2) एस. सी. आर. 797 पैरा 10 संदर्भित

1996 (7) पूरक के लिए एस. सी. आर. 535 पैरा 20 पर निर्भर

2000 (4) पूरक एस. सी. आर. 431 पैरा 21 पर निर्भर

1990 (47) ई. एल. टी. 491 (एस. सी.) पैरा 21 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4908/2005

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बैंगलोर के अपील संख्या ई/669/03 मे 2005 के निर्णय और आदेश संख्या 239 से।

अपीलार्थी के लिए वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, विवेक शर्मा, एल. चरणया, आर. रामचंद्रन, आदित्य भट्टाचार्य, हेमंत बजाज, ए. आर. आनंद के. और अम्बरीश पांडे।

प्रत्यर्थी की ओर से के. राधाकृष्णन, पी. के. मलिक, शिरीन खजुरिया और बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अपीलार्थी (जिसे इसके बाद "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित किया गया है) एक पेपर मिल है जो अन्य कार्यो के साथ-साथ कागज के निर्माण में लगी हुई है। कागज के निर्माण के लिए, निर्धारिती विभिन्न पारंपरिक कच्चे माल और गैर-पारंपरिक कच्चे माल का भी उपयोग करता है, जैसे कि अपशिष्ट बोरे, जूट अपशिष्ट आदि। निर्धारिती उपरोक्त उत्पाद, अर्थात् उसके द्वारा निर्मित कागज, जिसका निर्धारिती समय-समय पर प्रत्यर्थी को भुगतान करता रहा है (जिसे इसके बाद "राजस्व" के रूप में संदर्भित किया जाता है), पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए बाध्य है। गैर-पारंपरिक कच्चे माल के उपयोग से कागज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 22/94-CE दिनांक 01.03.1994 जारी की, जो "कागज और पेपरबोर्ड या गैर-पारंपरिक सामग्री से बनी वस्तुओं" के लिए 5 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर का आश्वासन देती है। उक्त अधिसूचना में निहित शर्त जो शुल्क की रियायती दर का भुगतान करने के लिए इसका लाभ उठाने के लिए पूरी की जानी चाहिए, वह इस प्रकार हैः

"यदि ऐसे कागज और पेपरबोर्ड या उनसे बनी वस्तुओं का निर्माण किसी कारखाने में, गूदे के स्तर से शुरू करके किया गया है, और ऐसे गूदे में बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नल (सरकंडा के अलावा) या चिथड़े के अलावा अन्य सामग्रियों से बने गूदे का वजन 75 प्रतिशत से कम नहीं है।

2) उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

(i) कागज और पेपरबोर्ड या उससे बनी वस्तुओं का निर्माण एक कारखाने में गूदे के स्तर से शुरू होना चाहिए,

(ii) ऐसे गूदे में बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी (सरकंडा के अलावा) या चिथड़े के अलावा अन्य सामग्रियों से बने गूदे का वजन 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार, यह कुछ ऐसी सामग्रियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें अधिसूचना से बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि यदि गूदा उन विशिष्ट सामग्रियों से बनाया जाता है, जैसे कि बांस की कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी (सरकंडा के अलावा) या चिथड़े, तो निर्माता इस अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं होगा।

3) इसमें निर्धारिती अपशिष्ट बोरे/जूट के कचरे के गूदे से कागज का निर्माण कर रहा है और उपरोक्त कचरे के गूदे से कागज के निर्माण पर, निर्धारिती उत्पाद शुल्क की रियायती दर का भुगतान करना चाहता है क्योंकि इसका तर्क है कि अपशिष्ट बोरे या जूट के कचरे का गूदा अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी सामग्री में नहीं आता है। दूसरी ओर, राजस्व ने यह रुख अपनाया है कि अपशिष्ट बोरे/जूट के कचरे का गूदा और कुछ नहीं बल्कि 'चिथड़े' का गूदा है और चूंकि अधिसूचना, विशेष रूप से, यदि गूदा चिथड़े से बनाया जाता है, तो उसके लाभ को अक्षम कर देती है, इसलिए निर्धारिती उक्त अधिसूचना के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, जो सवाल विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या अपशिष्ट बोरे/जूट के

कचरे के गूदे को सामग्री 'चिथड़े' से बने गूदे के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, विषय वस्तु से संबंधित अन्य संबंधित अधिसूचनाओं के साथ-साथ वर्तमान मुकदमे के इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक समझा जाता है, जिसने इस न्यायालय में मामले की सराहना की है।

4) अधिसूचना संख्या 22/94-सी.ई. दिनांक 01.03.1994, जो की विचारणीय है, पहली अधिसूचना नहीं है जिसमें गैर-पारंपरिक कच्चे माल का उपयोग करके कागज या कागज उत्पादों के निर्माण के मामले में उत्पाद शुल्क की रियायती दर की अनुमति दी गई है। इस संबंध में पहली अधिसूचना 01.03.1973 को जारी की गई थी। अर्थात अधिसूचना सं. 42/73-सी. ई. जिसमें न्यूजप्रिंट और सभी प्रकार के बोर्डों के अलावा सभी प्रकार के कागज के संबंध में शुल्क की इस तरह की कम दर निर्धारित की गई थी, जिसमें गूदे के रूप में खोई, जूट के डंठल या अनाज के भूसे का वजन 40 प्रतिशत से कम नहीं था। इस अधिसूचना को एक अन्य अधिसूचना संख्या 128/77-सी.ई. दिनांक 18-06-1977 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें कागज के निर्माण (उसमें उल्लिखित कुछ निर्दिष्ट प्रकार के कागजों के अलावा) में खोई, जूट के डंठल, अनाज के पुआल या अपशिष्ट कागज से बने गूदे का वजन 50 प्रतिशत से कम नहीं था। इस अधिसूचना में ऐसे कागज का निर्माण करने वाली कागज मिलों के विवरण से संबंधित कुछ अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया गया था, जिनसे हम

संबंधित नहीं हैं। समय-समय पर उपरोक्त शर्तों को संशोधित/परिवर्तित करने के लिए और अधिसूचनाएं दी गई हैं जिन्हें फिर से हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं कहा जाना चाहिए। हालाँकि, अधिसूचना संख्या 22/94-सी.ई. जारी करने से पहले अधिसूचना 48/91-सी.ई. दिनांकित 25.07.1991 का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिसके साथ संबंधित हैं। इस अधिसूचना संख्या 48/91-सी. ई. में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'सी. ई. टी. ए., 1985') की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 48.04 के तहत आने वाले लेखन और मुद्रण पत्र और अनकोटेड क्राफ्ट पेपर के संबंध में शुल्क की रियायती दर उक्त अधिसूचना में निहित परंतुक में उल्लिखित कुछ शर्तों पर प्रदान की गई थी, जो निम्नलिखित प्रभाव से थी।

"बशर्ते कि इस तरह के कागज में जूट, जूट के कचरे (हेसियन कचरे और पुराने बोरे के कचरे सहित), मेस्टा, चावल के भूसे, गेहूं के भूसे या खोई या उसके मिश्रण या उपरोक्त सामग्री के दो या दो से अधिक गूदों का मिश्रण से बने गूदे का वजन 75 प्रतिशत से कम न हो।

उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेख करने का उद्देश्य यह इंगित करना है कि इस अधिसूचना में उन सामग्रियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका उपयोग अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माता के हकदार कागज और कागज उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह दिखाने की आवश्यकता थी कि गूदा उक्त सामग्री में से किसी से या उसके

मिश्रण से बनाया गया था। इसे 'सकारात्मक सूची' कहा जा सकता है। इसके विपरीत, अधिसूचना संख्या 22/94-सी.ई. में उन सामग्रियों की सूची नहीं थी जिनसे लुगदी बनाने और कागज के निर्माण के उद्देश्य से उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसके विपरीत, इस अधिसूचना में सामग्री की बहिष्कृत श्रेणी शामिल थी, अर्थात, यदि लुगदी उन निर्दिष्ट सामग्रियों से बनाई गई थी (जिसमें चिथड़े भी शामिल थे) तो अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं था। इस अधिसूचना का प्रभाव यह है कि यदि गूदा किसी अन्य गैर-पारंपरिक सामग्री से बनाया जाता है जिसे परंतुक में नहीं लिखा गया है, तो यह उक्त अधिसूचना के संदर्भ में शुल्क की रियायती दर के लिए योग्य होगा। इस सूची में उल्लिखित सामग्रियों को सुविधा के लिए 'नकारात्मक सूची' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यह दिखाने की आवश्यकता थी कि कागज किसी भी सूचीबद्ध सामग्री के गूदे से नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार, अधिसूचना संख्या 22/94-सी.ई. के अनुसार, छूट तब उपलब्ध है जब कागज लुगदी से बनाया जाता है जिसमें गैर-पारंपरिक सामग्रियों से बने वजन द्वारा 75 प्रतिशत से कम नहीं होता है। निषिद्ध सामग्री जो उक्त रियायती दर से अयोग्य ठहराती है, वह है बांस या दृढ़ लकड़ी या नरम लकड़ी या ईख या चिथड़े।

5) बाद के वर्षों में अधिसूचना संख्या 22/94-सी.ई. में कुछ संशोधन किए गए हैं। वित्तीय वर्षों 1995-96,1997-98 और 1999-2000 (अक्टूबर 1999 तक) के दौरान, बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी या

चिथड़े के अलावा अन्य सामग्रियों से बने गूदे के वजन द्वारा 75 प्रतिशत से कम न होने वाले गूदे से बने कागज के लिए शुल्क की रियायती दर प्रदान की जाती है। लेकिन वर्ष 1996-97 के संबंध में, बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी या चिथड़े के अलावा अन्य सामग्रियों से बने गूदे के वजन द्वारा 50 प्रतिशत से कम जेस वाले गूदे से बने कागज को रियायत दी गई थी।

6) निर्धारिती के मामले में, यह कागज के निर्माण के लिए पुराने या इस्तेमाल किए गए बोरे/जूट के कचरे का उपयोग कर रहा है। यह उपरोक्त अधिसूचना का लाभ उठा रहा था और शुल्क की रियायती दर का भुगतान कर रहा था। हालाँकि, 28.04.2000 पर, राजस्व द्वारा अपीलार्थी को एक कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जूट के थैलों/बारूद के थैलों का उपयोग करके निर्मित कागज उक्त अधिसूचनाओं या उत्तराधिकारी अधिसूचनाओं के तहत छूट के लिए पात्र नहीं हैं, जिसके तहत उपरोक्त अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए (संक्षेप में, "अधिनियम") के प्रावधान के तहत सीमा की विस्तारित अवधि को लागू किया गया था और 01.04.1995 से 31.10.1999 की अवधि के लिए अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की गई थी। इस कारण बताए जाने के नोटिस के बाद नवंबर, 1999 से मई, 2000 तक की अवधि के लिए दो और कारण बताए जाने के नोटिस जारी किए गए। आकलनकर्ताओं ने इन

कारण दर्शाओ नोटिसों में राजस्व द्वारा लिए गए रुख का विरोध करते हुए यह रुख अपनाया कि जूट के थैलों/बोरे से बना गूदा निर्धारिती को उक्त अधिसूचना का लाभ उठाने का हकदार बनाता है क्योंकि जूट के थैलों के कचरे से निकलने वाला कागज गैर-पारंपरिक तरीका था। समर्थन में, निर्धारिती ने तकनीकी साहित्य और विशेषज्ञ राय के रूप में सामग्री भी दी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशाखापत्तनम द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई। इसके बाद, आयुक्त ने निर्धारिती के तर्क को स्वीकार करते हुए मूल दिनांक 02.05.2005 का आदेश पारित किया और तीनों कारण दर्शाओ नोटिसों को हटा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 11ए के तहत सीमा के साथ-साथ 28.4.2000 के नोटिस का कारण बताए जाने के लिए प्रतिबंधित है क्योंकि राजस्व धारा 11ए के प्रावधान को लागू करने और सीमा की विस्तारित अवधि का दावा करने का हकदार नहीं था।

7) आयुक्त के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आयुक्त को इस तथ्य से आश्वस्त किया गया था कि इस तरह की अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य गैर-पारंपरिक सामग्रियों से कचरे के उपयोग को कच्चे माल के रूप में प्रोत्साहित करना था और विशेष रूप से, जूट अपशिष्ट, मेस्टा, बैगगेस, हेसेन, पुराने बोरे के कचरे, चावल के पुआल, गेहूं के पुआल आदि जैसे कच्चे माल का उपयोग और वन को बचाने के लिए बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी आदि के उपयोग को कम करना था। उन्होंने यह भी

कहा कि 1994 से पहले, अधिसूचनाओं में उन सामग्रियों की सूची थी जिनके उपयोग की दर रियायती थी (यानी 'सकारात्मक सूची') और 1994 से, 'नकारात्मक सूची' केवल कच्चे माल के समूह को छोड़कर निर्धारित की गई थी, जिसका उपयोग अधिसूचना के लाभ के लिए योग्य नहीं था। आयुक्त ने इस बात पर जोर देने के लिए वित्त मंत्री के भाषण का भी उल्लेख किया कि गैर-पारंपरिक सामग्रियों के उपयोग के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन के साथ अधिसूचना पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विकसित हुई है। अधिसूचना की उपरोक्त भावना को देखते हुए, जब यह पाया जाता है कि पटसन और पटसन के थैलों को 'सकारात्मक सूची' में शामिल किया गया था और उनसे निकलने वाले कचरे को व्यापक रूप से कागज और कागज उत्पादों के उत्पादन की गैर-पारंपरिक विधि के रूप में जाना जाता है, तो इन सामग्रियों को 'चिथड़े' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि 'नकारात्मक सूची' में चिथड़े को शामिल करने का इरादा उक्त अभिव्यक्ति के भीतर पटसन के थैलों और पटसन के थैलों के कचरे को शामिल करना नहीं हो सकता है। आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश में, उन्होंने बताया कि अधिसूचना में 'चिथड़े' की कोई परिभाषा नहीं है और इसी तरह, किसी भी अधिसूचना में जूट के गूदे की कोई परिभाषा नहीं है जो बोरे के कचरे के किसी भी विवरण का पता लगाने में मदद कर सके। आयुक्त ने राय दी कि इस कारण से, इन शब्दों को परिभाषित करने वाली परिभाषा या मानक पाठ या अन्य अधिसूचनाओं पर वापस जाना विवेकपूर्ण था। इसके बाद, उन्होंने जूट, जूट पेपर, जूट पल्प, राग पल्प, चिथड़े आदि

की परिभाषा/विवरण को अपनाने के लिए 'कागज व्यापार और उद्योग में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की शब्दावली' का उल्लेख किया और उस आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

"37. राग शब्द का अर्थ जैसा कि उन्हें अधिसूचना में ही परिभाषित नहीं किया गया है, समकालीन साक्ष्य से लिया जाना चाहिए। कागजी व्यापार और उद्योग में उपयोग की जाने वाली शर्तों की आई. एस. शब्दावली में उपलब्ध रग पल्प, जूट पल्प की परिभाषाओं से, अधिसूचना संख्या 8/96-सी. ई. के साथ रैग्स की परिभाषा और पैरा 26ए में उल्लिखित विभिन्न निर्णयों में राग की परिभाषा।

38. कारण दर्शाओ नोटिस में कहा गया है कि जूट का कचरा बारूद का कचरा नहीं है और चूंकि पार्टी ने अपने रिकॉर्ड में जूट के कचरे और बारूद के कचरे का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए जानकारी को दबाया गया है। जब तक हम मानते हैं कि चिथड़े बोरे के कचरे नहीं हैं और बोरे को रियायत के उद्देश्य से कच्चे माल से बाहर नहीं रखा गया है, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दस्तावेजों में बोरे का वर्णन कैसे किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 48/91 दिनांकित 25.7.91 वीडियो 30/93 में संशोधन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पटसन के कचरे में पुराने बोरे का कचरा शामिल होगा। इसलिए, यह अभी भी सही है कि बोरे के कचरे को जूट उत्पादों के कचरे के रूप में वर्णित किया जा सकता है और विस्तार में जूट कचरे में शामिल किया जा सकता है। इसलिए कच्चे

माल के खाते में कोई गलत घोषणा नहीं है। इसके अलावा, यह विवरण अपने आप में कारण बताए जाने के नोटिस की बात को साबित नहीं करेगा। चूंकि मूल आधार जिस पर एससीएन खड़ा है, उपलब्ध नहीं है, धारा 11एसी और 11एबी के तहत दमन और विस्तारित अवधि और आकर्षण के आवेदन या नियम 226 और 1730 के तहत उल्लंघन के अन्य आरोप टिकाऊ नहीं हैं।

39. इसलिए, कच्चे माल के खाते को जानबूझकर दबाने के संबंध में बारूद के कचरे को जूट अपशिष्ट, नियम 173जी के रूप में गलत घोषित करके नियम 173बी के उल्लंघन के संबंध में कारण बताएँ नोटिस के पैरा42 में सूचीबद्ध आरोप। उचित शुल्क के निर्वहन के संबंध में नियम 9 (1) और बोरे के गूदे से माल की निकासी से संबंधित शुल्क की सही दर के निर्धारण के संबंध में नियम 173एफ प्रकटीकरण के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर नहीं हैं।

8) राजस्व उपरोक्त परिणाम से संतुष्ट नहीं था और इसलिए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'सी. ई. एस. टी. ए. टी.') के समक्ष आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने दिनांक 04.02.2005 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से गुण-दोष पर आयुक्त के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि जूट/बारूद के थैलों का अपशिष्ट 'चिथड़े'

के बराबर है और इसलिए, इससे बना गूदा और कागज के निर्माण के लिए उपयोग उक्त अधिसूचना के दायरे में नहीं आएगा।

9) इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय, न्यायाधिकरण ने टिप्पणी की कि वित्त मंत्री के बजट भाषण या बोर्ड के परिपत्र से आयुक्त द्वारा निकाले गए निष्कर्ष उक्त भाषण या बोर्ड के स्पष्टीकरण से नहीं निकलते हैं और इस संबंध में आयुक्त का तर्क गलत था। इसने एच. एस. एन. अध्याय शीर्षकों पर आधारित निर्धारिती के तर्क को भी खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण के अनुसार, कपड़ों से बाहर निकलने वाले गूदे को अधिसूचना से विशेष रूप से बाहर रखा गया था। 'रग' को कपड़ा सामग्री के खराब, गंदे और फटे हुए होने के रूप में समझा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, 'चिथड़े' का अर्थ जानने के लिए किसी भी शब्दकोश, कागज और कागज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की शब्दावली या शब्दों और वाक्यांशों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। इस पहलू पर चर्चा करने वाला प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

"11. हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि बोरे/जूट के बोरे कपड़ों के सामान हैं। मान लीजिए, पटसन के ऐसे थैले जो खराब होने के संकेत दिखाते हैं, उन्हें 63.09 शीर्षक से बाहर रखा गया है और उन्हें 63.05 शीर्षक के तहत संबंधित नए लेखों के साथ वर्गीकृत किया गया है। लेकिन पुराने बारनी बैगों की एक और श्रेणी है जो इतने खराब, गंदे या साफ करने या मरम्मत से परे हैं

और आम तौर पर केवल कागज आदि के निर्माण के लिए रेशों की वसूली के लिए उपयुक्त होते हैं। यह पुराने बोरे की अलग श्रेणी है जो केवल खराब होने के संकेत दिखाने वाले बोरे से अलग है। इस प्रकार एक राग वह है जो कपड़े की सामग्री से घिस जाता है, मैला हो जाता है और फट जाता है। यदि चिथड़ों का यही अर्थ है, तो चिथड़ों का अर्थ जानने के लिए किसी भी शब्दकोश, कागज और कागज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की शब्दावली या एस. बी. सरकार के शब्दों और वाक्यांशों को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी गूदा बनाने के लिए फटे हुए, गंदे आदि बोरे का उपयोग करता है। गुन्नी बैग एक कपड़ा सामग्री है। हम राजस्व के इस तर्क से सहमत हैं कि चिथड़े किसी भी कपड़ा सामग्री या कपड़ा वस्तुओं से बनाए जा सकते हैं और सूती के टुकड़ों या सूती से बनी वस्तुओं तक सीमित नहीं हैं।

10) हालांकि, सीमा के मुद्दे पर, न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश से सहमति व्यक्त की है और उस हद तक राजस्व की अपील को खारिज कर दिया है। शुद्ध परिणाम यह है कि कारण दर्शाओ नोटिस में निहित मांग जो 01.04.1995 से 31.10.1999 तक की अवधि से संबंधित है, उसे समयबद्ध माना जाता है। जहां तक निर्धारिती के विद्वान वकील का संबंध है, यह प्रदर्शित करने के अपने प्रयास में कि पटसन के थैलों/बोरे के अपशिष्ट को अधिसूचना में उपयोग किए जाने के अर्थ में 'चिथड़े' नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया

जिसे अधिसूचना को दिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार उनके तर्क का मुख्य जोर यह था कि अधिसूचना का उद्देश्य उन लोगों को इसका लाभ देना है जो गैर-पारंपरिक सामग्रियों से अपशिष्ट का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह सर्वविदित था कि जूट/बारूद के थैले गैर-पारंपरिक तरीके थे जिन्हें वाणिज्यिक दुनिया में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त थी। संक्षेप में कहें तो उन्होंने अपनी दलीलें आयुक्त द्वारा दिए गए कारणों पर आधारित कीं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण दोषपूर्ण थे और अधिसूचना में 'चिथड़े' की किसी भी परिभाषा के अभाव में, शब्दकोश के अर्थ पर भरोसा किया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बड़ौदा के मामले में माना था।

11) प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने भी इसी तरह की कवायद की, लेकिन इसके विपरीत, उन्होंने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारणों का समर्थन करते हुए कहा कि यह त्रुटिपूर्ण तर्क के आधार पर आयुक्त का एक दोषपूर्ण निर्णय था जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से उलट दिया गया है। उन कारणों पर भरोसा करने के अलावा जिन्होंने न्यायाधिकरण को राजस्व के पक्ष में मामले को समाप्त करने के लिए राजी किया, उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि चूंकि उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है, इसलिए छूट अधिसूचना का लाभ उठाने वाले किसी भी निर्धारिती को इसका लाभ प्राप्त करने के लिए

उक्त अधिसूचना के चारों कोनों के भीतर सख्ती से आना होगा। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिसूचना में 'चिथड़े' शब्द का उल्लेख सरल या बिना किसी योग्यता या अपवाद के किया गया है। इसलिए, जहां भी यह पाया जाता है कि गूदा 'चिथड़े' के रूप में जानी जाने वाली अपशिष्ट सामग्री से है, उक्त उत्पाद अपवादात्मक श्रेणी में आएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोरे/जूट के थैलों के अपशिष्ट को 'चिथड़े' के रूप में जाना जाता है, यदि कागज को बोरे/पटसन के थैलों के अपशिष्ट से बनाया जाता है, तो निर्धारिती अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य होगा।

12) हमने अभिलेख के संदर्भ में उपरोक्त प्रस्तुतियों और दोनों पक्षों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि किसी को 'चिथड़े' अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ को देखना है और उस आधार पर विचाराधीन अधिसूचना का अर्थ निकालना है, तो निर्धारिती उत्पाद शुल्क की रियायती दर का हकदार नहीं होगा क्योंकि बोरे या जूट के थैलों के अपशिष्ट को सामान्य अर्थों में 'चिथड़े' कहा जाएगा। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या इस तरह के सरल भावों के साथ मामले का फैसला किया जा सकता है। हमारा विचार है कि अधिसूचना में दिखाई देने वाली 'चिथड़े' अभिव्यक्ति का अर्थ परिवेशक परिस्थितियों, जिस संदर्भ में उक्त अधिसूचना में इसका उपयोग किया गया

है और साथ ही उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह शब्द अधिसूचना में आया है। साथ ही, उस उद्देश्य के पीछे जाना भी आवश्यक है जिसके लिए अधिसूचना स्वयं जारी की जाती है जिससे इसे एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या मिलती है, जो व्याख्या का मुख्य नियम बन गया है। हमारी राय में, इन सभी कारकों की जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।

13) 1977 से, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन, गैर-पारंपरिक कच्चे माल से बने कागज के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दरों को निर्धारित किया। संक्षेप में, इन अधिसूचनाओं का इतिहास हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। इस तरह की अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य स्पष्ट है, अर्थात्, कागज और कागज उत्पादों के निर्माताओं को बांस या गेहूं का उपयोग करने की पारंपरिक तकनीक के विपरीत गैर-पारंपरिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। कारण बहुत स्पष्ट है। कागज और कागज उत्पादों के निर्माण के लिए बांस या गेहूं के उपयोग के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता होती है जो वनों की कटाई का विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। यह पर्यावरण के क्षरण की ओर ले जाता है और गंभीर परिणामों के साथ वनों की कटाई का प्रतिकूल प्रभाव अब सर्वविदित है। दूसरी ओर बोरे/जूट के कचरे, मेस्ता, चावल के पुआल, गेहूं के पुआल, खोई आदि के कचरे से गूदा निकालकर उत्पादन के गैर-पारंपरिक तरीकों को अपनाने से न केवल उक्त कचरे का उपयोग उपयोगी और रचनात्मक

तरीके से किया जाता है, बल्कि इससे पर्यावरण की भी बचत होती है। इन अधिसूचनाओं को जारी करने के लिए इस तरह के परोपकारी उद्देश्य पर वित्त मंत्रियों ने समय-समय पर बजट भाषणों में जोर दिया है।

14) समय-समय पर इस संबंध में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं की अवधि और भाषा भी उस अनुभव को दर्शाती है जो समय के साथ प्राप्त हुआ था। जबकि शुरुआत में, अधिसूचना (ओं) ने उन सामग्रियों की 'सकारात्मक सूची' निर्धारित की थी जिनका उपयोग शुल्क की रियायती दर का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाना था, जोर एक वैचारिक परिवर्तन से गुजरा और 'नकारात्मक लिस्ट' में बदल गया, यानी केवल उन सामग्रियों का उल्लेख करना जिनके उपयोग से लाभ नहीं होगा जिससे गैर-पारंपरिक सामग्रियों के अन्य सभी रूपों को लाभ उपलब्ध होगा। इसका कारण यह था कि अनुभव से पता चला है कि गैर-पारंपरिक सामग्री को एक जलडमरूमध्य में डाल कर उनका उल्लेख करना और यह प्रावधान करना उचित नहीं था कि कागज के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की गैर-पारंपरिक सामग्री रियायती दर के लिए योग्य होनी चाहिए, सिवाय उन लोगों के जिन्हें इस तरह का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, 'सकारात्मक सूची' से 'नकारात्मक सूची' पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15) इससे आगे बढ़ते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जूट, जूट के कचरे से बने गूदे, जिसमें हेज़ियन कचरा और पुराने बोरे के कचरे

शामिल हैं, विशेष रूप से अधिसूचना दिनांक 17.09.1990 में निहित 'सकारात्मक सूची' में शामिल हैं। इस प्रकार, उक्त अधिसूचना के अनुसार यदि कागज का निर्माण उपरोक्त सामग्री के अपशिष्ट से बने गूदे से किया जाता है, तो रियायती दर का लाभ स्वीकार्य था। इसे अन्यथा रखने के लिए, यह हमेशा स्पष्ट रूप से समझा गया है कि पुराने बोरे के कचरे सहित जूट या जूट का कचरा गैर-पारंपरिक सामग्री है। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या अधिसूचना संख्या 22/1994-सी.ई. के पीछे का इरादा 'नकारात्मक सूची' में 'चिथड़े' शब्द को डालने के साथ इस गैर-पारंपरिक सामग्री को बाहर करने का हो सकता है। इस तरह के परिणाम या स्थिति को समझना मुश्किल लगता है।

16) उपरोक्त परिचय के साथ, हम अधिसूचना 22/94-सी. ई. में निर्दिष्ट सामग्रियों की 'नकारात्मक सूची' को पुनः प्रस्तुत करते हैं। इसमें 'बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी (सरकार के अलावा) या चिथड़े' का उल्लेख है। यह उल्लेख करने का क्या उद्देश्य है कि उपरोक्त सामग्री से बने गूदे से कोई लाभ नहीं होगा। जाहिर है, अन्य सभी सामग्री, अर्थात्, बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी और नक्काशी पारंपरिक कच्चा माल हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनका पेड़ों को काटने और वातावरण पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए, 'चिथड़ों' को सामान्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यह उसमें उल्लिखित पूर्व प्रकार की सामग्रियों की प्रजाति होनी चाहिए। अन्यथा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। मान लीजिए, जूट के कचरे या उस मामले

में बारूद के कचरे का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। विशेष रूप से, ईख का उल्लेख करते समय, सरकार को विशेष रूप से इससे बाहर रखा गया है।

17) इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि 1984 से पहले, अपरंपरागत कच्चे माल से बने कागज को छूट केवल तभी उपलब्ध थी जब कागज का निर्माण निर्दिष्ट गैर-पारंपरिक कच्चे माल से किया जाता था। उदाहरण के लिए, अधिसूचना संख्या 46/83-CE दिनांक 01-03-1983 ने कागज के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की है जिसमें खोई, जूट के डंठल, अनाज के पुआल, हाथी घास (एमपेराटा सिलिंड्रिका), मेस्टा (नीफ) या अपशिष्ट कागज से बने गूदे के वजन द्वारा पचास प्रतिशत से कम नहीं है। इस प्रकार, अधिसूचना में ही जूट के डंठल को एक गैर-पारंपरिक कच्चे माल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। हालाँकि, 1984 के बजट के अनुसार, गैर-पारंपरिक कच्चे माल से बने कागज को छूट का दायरा बढ़ाया गया था और अधिसूचना संख्या 25/84-CE दिनांक 1-03-1984 का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

"शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा कागज और पेपरबोर्ड को छूट देती है, जिसमें सामग्री (बांस, दृढ़ लकड़ी, सॉफ्टवुड, नक्काशी या चिथड़े के अलावा) से बने गूदे के वजन द्वारा 50 प्रतिशत से कम नहीं होता है।

"इस प्रकार, वर्ष 1984 से, अधिसूचना का दायरा बढ़ाया गया था क्योंकि निर्दिष्ट सामग्रियों के अलावा किसी भी सामग्री को गैर-पारंपरिक कच्चा माल माना जाएगा और उससे बना कागज छूट के लिए पात्र होगा। यह वित्त मंत्री के वित्त विधेयक, 1984 को प्रस्तुत करते समय दिए गए भाषण से भी स्पष्ट होता है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"108. राहत के एक और उपाय के रूप में, मैंने बड़ी पेपर मिलों द्वारा उत्पादित कागज और क्राफ्ट पेपर की छपाई और लेखन पर मूल उत्पाद शुल्क में एक लाख रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रखा है। 425 प्रति मीट्रिक टन, और ऐसे कागज पर लगाए जाने वाले शुल्क पर संबंधित रियायतें दी जा रही हैं जब उनके निर्माण में अपरंपरागत कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। साथ ही, अनुमेय अपरंपरागत कच्चे माल की सीमा का विस्तार किया जा रहा है।

18) वित्त विधेयक, 1984 के लिए बजट व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (पैरा 8.6 पर) इस प्रकार हैः

"8.6 एक अन्य परिवर्तन शुल्क रियायतों के उद्देश्य से कागज मिलों द्वारा अपरंपरागत कच्चे माल का दायरा बढ़ाने के संबंध में किया गया है। यह तय नहीं किया गया है कि किसी भी कच्चे माल (बांस, कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नक्काशी और चिथड़े के अलावा) के उपयोग के लिए छूट कागज (कुछ अपवादों को छोड़कर) या पेपरबोर्ड के निर्माण में गूदे के वजन से 50 प्रतिशत तक उपलब्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक गूदेदार बांस,

कठोर लकड़ी, नरम लकड़ी, नलिका या चिथड़े के वजन का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तब तक उत्पाद शुल्क की रियायती दरें लागू होंगी।

19) इस प्रकार, उपरोक्त सभी सामग्रियों और अधिसूचनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार ने स्वयं जूट के थैलों/बारूद के थैलों और कपड़ों के बीच अंतर किया और छूट पुराने जूट/बारूद के थैलों से बने कागज तक बढ़ाई जा रही थी।

20) इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की छूट अधिसूचनाओं की सख्त व्याख्या की आवश्यकता होती है। हालांकि, उसी समय जब अधिसूचना में 'चिथड़े' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका एक विशेष अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए जो उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए इस तरह की अधिसूचना को स्पष्ट अर्थ देते हुए जारी किया गया था, भले ही उक्त अर्थ और अधिसूचना के बीच पूरी तरह से संपर्क टूट गया हो, यह बेतुका परिणाम दे सकता है क्योंकि यह पटसन के थैलों या बोरे से अपशिष्ट के रूप में गैर-पारंपरिक सामग्री को बाहर कर देगा, तब भी जब यह सामग्री 'सकारात्मक सूची' में थी और छूट के लिए योग्य थी। इस न्यायालय ने एच. एम. एम. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के कलेक्टर के मामले में निर्णय दिया है कि अधिसूचनाओं के लाभ की व्याख्या लाभकारी अधिसूचनाओं के उद्देश्य में

जाकर की जानी चाहिए और यह कि किसी को केवल उसमें प्रयुक्त भाषा से नहीं जाना चाहिए।

21) इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय का फैसला कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड अदर्स बनाम हिमालयन कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटेड और अदर्स के मामले में है, जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि अधिसूचना के पीछे के उद्देश्य और नीतिगत निर्णय को कुछ अन्य अर्थ देकर विफल नहीं किया जाना चाहिए कि इससे स्पष्ट और स्पष्ट रूप से क्या निकल रहा है। इस स्तर पर, रोहित पल्प एंड पेपर मिलिस लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां एक सामान्य शब्द को उसके संदर्भ के कारण सीमित अर्थ दिया जाना है। हम उनसे निम्नलिखित चर्चाओं को लेना चाहेंगेः

"10. वैधानिक व्याख्या का सिद्धांत जिसके द्वारा एक सामान्य शब्द अपने संदर्भ के कारण सीमित व्याख्या प्राप्त करता है, अच्छी तरह से स्थापित है। जिस संदर्भ में हम चिंतित हैं, हम वैध रूप से "समाज की उपेक्षा" के सिद्धांत को अपना सकते हैं। इस अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है कि "किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी द्वारा आंका जाता है जिसे वह रखती है।" गजेंद्रगडकर जे. ने राज्य बनाम अस्पताल मजदूर सभा

(1960-2 एस. सी. आर. 866) में नियम के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः

"मैक्सवेल के अनुसार, इस नियम का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक शब्द जो समान अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं तो उन्हें उनके संज्ञानात्मक अर्थों में उपयोग किया जाता है। वे एक-दूसरे से अपना रंग लेते हैं, यानी जितना अधिक सामान्य होता है, उतना ही कम सामान्य के समान एक अर्थ तक सीमित होता है। इसी नियम की व्याख्या इस प्रकार "शब्दों और वाक्यांशों" (वीओ XIV, p. 207) में की गई है। : "संबद्ध शब्द एक दूसरे से अपना अर्थ लेते हैं एक समाज के सिद्धांत के तहत, जिसका दर्शन यह है कि एक संदिग्ध शब्द का अर्थ उससे जुड़े शब्दों के अर्थ के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है; ऐसा सिद्धांत उक्ति एजुस्डेम जेनरिस से व्यापक है।" वास्तव में बाद वाला उक्ति "केवल व्यापक उक्ति समाज का एक चित्रण या विशिष्ट अनुप्रयोग है।" तर्क यह है कि कुछ आवश्यक विशेषताएं या बिन्दु हमेशा "व्यवसाय और व्यापार" शब्दों के साथ जुड़ी होती हैं जैसा कि लोकप्रिय और पारंपरिक अर्थों में समझा जाता है, और यह इन विशेषताओं का रंग है जो परिभाषा में उपयोग किए गए अन्य शब्दों द्वारा लिया जाता है, हालांकि उनका सामान्य महत्व बहुत व्यापक हो सकता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज केवल निर्माण का एक नियम है और यह उन मामलों में प्रबल नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट है

कि परिभाषित शब्द के दायरे को तदनुसार व्यापक बनाने के लिए व्यापक शब्दों का जानबूझकर उपयोग किया गया है। यह केवल वहाँ है जहाँ संकीर्ण महत्व के शब्दों के साथ व्यापक शब्दों को जोड़ने में विधानमंडल का इरादा संदिग्ध है, या अन्यथा स्पष्ट नहीं है कि निर्माण के वर्तमान नियम को उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है। इसे वहाँ भी लागू किया जा सकता है जहाँ व्यापक महत्व के शब्दों का अर्थ संदिग्ध है; लेकिन, जहाँ व्यापक शब्दों का उपयोग करने में विधानमंडल का उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त है, वहाँ विचाराधीन निर्माण के नियम को सेवा में नहीं डाला जा सकता है

यह सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में कई संदर्भों में लागू किया गया है जहां न्यायालय अपने दिमाग में स्पष्ट है कि विचाराधीन शब्द का बड़ा अर्थ उस संदर्भ में नहीं किया जा सकता था जिसमें इसका उपयोग किया गया है। यहां चर्चा की आवश्यकता के लिए मामले बहुत अधिक हैं। चित्रण के माध्यम से उनमें से एक का उल्लेख करना पर्याप्त होना चाहिए। रेनबो स्टील्स लिमिटेड बनाम सी. एस. टी., (1981) 2 एस. सी. सी. 141 में इस न्यायालय को कर शुल्क में प्रविष्टि के संदर्भ में 'पुराना' शब्द का अर्थ समझना था जो इस प्रकार हैः

"पुरानी, बेकार, अनुपयोगी या पूर्ण मशीनरी, भंडार या अपशिष्ट उत्पादों सहित वाहन।

"हालांकि शुल्क मद व्यापक शब्द 'पुराने' के उपयोग के साथ शुरू हुआ, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि" प्रविष्टि में आने वाली 'पुरानी मशीनरी' अभिव्यक्ति के भीतर आने के लिए, मशीनरी इस अर्थ में पुरानी मशीनरी होनी चाहिए कि यह गैर-कार्यात्मक या गैर-उपयोग योग्य हो गई है। " दूसरे शब्दों में, न केवल मशीनरी की आयु, जो व्यापक अर्थों में प्रासंगिक होगी, बल्कि उसके बाद के शब्दों द्वारा इंगित मशीनरी की स्थिति को क़ानून के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक माना गया था।

11. डिप्लोक, सी. जे. द्वारा "विश्वासघाती" के रूप में वर्णित किया गया है जब तक कि कोई उन समाजों को नहीं जानता जिनसे वे संबंधित हैं (वीडियोः लेटांग बनाम कोपिक, 1965-1 क्यू. बी. 232)। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने यह भी चेतावनी दी है कि जब व्याख्या किए जाने वाले शब्द स्पष्ट हैं और इसका व्यापक अर्थ है तो किसी को भी लेबल और लैटिन उक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से सहमत हैं कि इन मानदंडों और उदाहरणों को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। वे केवल उस हद तक सहायक हैं जब वे सामान्य ज्ञान और तर्क के नियमों पर आधारित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करके मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसा कि कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बनाम पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, 1989 (38) ई. एल. टी. 741 (एस. सी.) = (1989-1 एस. सी. सी. 345 p.357) और टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., 1989 (43) ई. एल. टी. 183 (एस. सी.) =

(1989-4 एससीसी 541 पे. 545-6) में समझाया गया है। किसी भी अधिसूचना के दायरे की व्याख्या करने में, न्यायालय को सबसे पहले अधिसूचना के उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। इसके सभी भागों को उस उद्देश्य की सहायता के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि अपमान के रूप में। इस मामले में, अधिसूचना का उद्देश्य छोटे पैमाने के कारखानों को रियायत देना है जो अपरंपरागत कच्चे माल के साथ कागज का निर्माण करते हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता हैः क्या परंतुक में निर्धारित अपवादों को लागू करके कोई विशेष उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था? इस आधार पर आगे बढ़ने के बजाय कि कर कानून में किसी भी कारण को देखना आवश्यक नहीं है, परंतुक के शब्दों पर करीब से नज़र डालना आवश्यक है। यदि परंतुक में केवल 'लेपित कागज' का उल्लेख किया गया होता, तो कोई विशेष उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता और शायद इसके आगे देखने और यह अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं होता कि अधिसूचना में इन कारखानों द्वारा निर्मित केवल 'लेपित कागज' को छूट के दायरे से छूट देने के बारे में क्यों सोचा जाना चाहिए था। लेकिन अधिसूचना में एक नहीं बल्कि वस्तुओं के एक समूह को शामिल किया गया है। यदि समूह में उल्लिखित वस्तुएं पूरी तरह से भिन्न थीं और उनके माध्यम से किसी भी सामान्य धागे को फिर से चलते हुए देखना असंभव था, तो अपवादों को उनका सबसे चौड़ा अक्षांश देने की अनुमति हो सकती है। लेकिन जब उनमें से चार-निस्संदेह, उनमें से कम से कम तीन को एक बोधगम्य वर्गीकरण के तहत लाया जा सकता है और यह भी कल्पना की

जा सकती है कि सरकार ने अच्छी तरह से सोचा होगा कि इन छोटे पैमाने के कारखानों को अधिसूचना द्वारा विचारित रियायत के लिए पात्र नहीं होना चाहिए जहां वे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कागज का निर्माण करते हैं, तो निर्धारित सीमा में एक उद्देश्य है और इस वर्गीकरण के आधार पर परंतुक पर तर्कसंगत रूप से तार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे विचार में, परंतुक की व्याख्या करने का एकमात्र उचित तरीका 'लेपित कागज' शब्दों को उसमें उपयोग की जाने वाली अन्य अभिव्यक्तियों के अनुरूप संकीर्ण अर्थों में समझना है।

22) उपरोक्त चर्चा यह मानने के लिए पर्याप्त होगी कि जूट के थैलों या बारूद के थैलों के कचरे से निकलने वाले गूदे को अधिसूचना दिनांक 01.03.1994 में दिखाई देने वाले 'चिथड़े' शब्द से कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कभी भी गैर-पारंपरिक सामग्री को उपरोक्त अधिसूचना के लाभ से बाहर करने का इरादा नहीं हो सकता है, जबकि ठीक यही उद्देश्य था जिसके लिए यह अधिसूचना कागज या कागज उत्पादों के निर्माण के उद्देश्यों के लिए गैर-पारंपरिक सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जारी की गई थी। फिर भी, अब हम उस शब्दकोश अर्थ पर ध्यान देना चाहेंगे जो उपरोक्त शब्दों को सौंपा गया है, वह भी अमेरिकन पेपर एंड पल्प एसोसिएशन द्वारा 'डिक्शनरी ऑफ पेपर' से, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए सबसे प्रासंगिक और प्रमाणित शब्दकोश है

क्योंकि कागज उद्योग में जो प्रचलित है और समझा जाता है वह इस तरह के शब्दकोश में निहित है।

23) अमेरिकन पेपर एंड पल्प एसोसिएशन का डिक्शनरी ऑफ पेपर स्पष्ट रूप से राग पल्प और जूट के बीच अंतर करता है। पुस्तक के प्रासंगिक भाग (पृष्ठ 22 और 26 पर निहित) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"सूती रेशे या रग पल्प का उपयोग मुख्य रूप से महीन और तकनीकी कागजों के निर्माण में किया जाता है जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किया गया है, और रूफिंग पेपर के निर्माण में किया जाता है।"

जूट पल्प का उपयोग रैपिंग पेपर और टैग स्टॉक के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कुछ हद तक बफ़ ड्राइंग पेपर में भी किया जाता है। जूट की प्रमुख आपूर्ति पुरानी बरौनी, बरलैप और तार से होती है।

"जूट... पुरानी बोरी और बरौनी का उपयोग कागज बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।"

24) जेम्स पी. केसी की पुस्तक 'पल्प एंड पेपर केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी' फिर से कपड़ों और जूट के बीच निम्नलिखित तरीके से अंतर करती हैः

"कागज बनाने के लिए रैग्स का उपयोग

उच्च श्रेणी का कपास और कुछ हद तक, लिनन के कपड़ों का उपयोग बंधन, लेखन और तकनीकी पत्रों के सर्वोत्तम ग्रेड बनाने के लिए किया जाता है, जहां स्थायित्व, उच्च शक्ति और विशिष्ट गुणवत्ता की आवश्यकता होती है।

जूट की पल्पिंग

पूरे पटसन के पल्पिंग का उपयोग शायद ही कभी पल्प और पेपर बनाने के लिए किया जाता है। बचाए गए उत्पाद, जैसे कि पुराने जूट के बोरे और बरलैप, कागज मिलों के लिए उपलब्ध सामग्री हैं। अपशिष्ट जूट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और कुक करने से पहले धूल उड़ाई जाती है। जूट के गूदे का उपयोग उच्च शक्ति वाले थैलों, लपेटने, ड्राइंग पेपर और टैग के निर्माण के लिए किया जाता है।

25) टी. ए. पी. पी. आई. द्वारा कागज के शब्दकोश में 'राग पल्प्स' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः "नए या पुराने सूती कपड़े की कटाई से बने कागज बनाने वाले रेशे। यह शब्द कपास के लिंटर्स पर भी लागू हो सकता है, यानी छोटे रेशे जो जिनिंग प्रक्रिया के बाद कपास के बीज से चिपके रहते हैं। रग पल्प्स का उपयोग उन कागजों में किया जाता है जहां स्थायित्व और टिकाऊपन की आवश्यकता होती है, जैसे, खाता, खाका, नक्शा, मुद्रा पत्र आदि।

26) कागज व्यापार और उद्योग में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की भारतीय मानक शब्दावली-आई. एस. 4661:1999 जूट 'और' राग पल्प 'को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"जूटः (ए) एक भारतीय बास्ट फाइबर, सफेद जूट (कॉर्कोरस कैप्सूलरिस) और टॉसाजूट (सी. ओलिटोरियस) जिसका उपयोग मोटे सीकिंग और बैग (बोरे) के निर्माण के लिए किया जाता है। कागज बनाने में कच्चे माल के रूप में पुरानी बोरी और सेक का उपयोग किया जाता है।

रग पल्प्सः नए या पुराने सूती कपड़े की कटाई या सूती लिंटर्स, मिल रन, फ्लाई सूती, सूती अपशिष्ट आदि जैसी सामग्रियों से बने सूती कपड़े के कागज बनाने वाले रेशे। रग पल्प्स का उपयोग उन कागजों में किया जाता है जहां स्थायित्व और टिकाऊपन की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, खाता, खाका, नक्शा, मुद्रा पत्र आदि।

27) इस प्रकार, इस विषय पर लगभग सभी पुस्तकें समान रूप से 'राग' या 'राग पल्प' को सूती अपशिष्ट या सूती कपड़ा सामग्री से बने के रूप में परिभाषित करती हैं। दूसरी ओर, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील एक भी शब्दकोश की ओर इशारा नहीं कर सके या हमें किसी भी तकनीकी साहित्य के माध्यम से ले जा सके जो दूर से भी सुझाव देता है कि जूट के बोरे कागज प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 'चिथड़े' की श्रेणी में आते हैं।

28) न्यायाधिकरण ने उपरोक्त सामग्री को केवल इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है कि यह प्रासंगिक नहीं है और न्यायाधिकरण के इस दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

29) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह अभिनिर्धारित करना है कि न्यायाधिकरण का विवादित निर्णय न्यायिक जांच और खारिज किए जाने वाले वारंट के लिए उपयुक्त नहीं है। हम, इस प्रकार, इस अपील को स्वीकार करते हैं, न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हैं और आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं।

कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल अपील को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्कारण ही मान्य होगा।